न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 6/प्रा.पत्र/2020	19.02.2020	28.01.2025
(GCMS No. 2020/00008)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1. अम्बालाल आ. रामदेव जाति मीना निवासी बिशनपुरा
2. शंकर आ. रामदेव जाति मीना निवासी बिशनपुरा
3. दुर्गालाल आ. रामदेव जाति मीना निवासी बिशनपुरा (मृतक)
   जर्ये कायम मुकामान –
   3/1 कौशलराज पुत्र दुर्गालाल कौम मीना, ग्राम बिशनपुरा
   3/2 फोरीबाई पत्नी दुर्गालाल कौम मीना, ग्राम बिशनपुरा
   3/3 ज्योति पुत्री दुर्गालाल कौम मीना, ग्राम बिशनपुरा
4. लटूर आ. रामदेव जाति मीना निवासी बिशनपुरा
5. बालाराम आ. रामदेव जाति मीना निवासी बिशनपुरा
6. बाली पुत्री रामदेव जाति मीना निवासी बिशनपुरा
7. भूरी बेवा रामदेव जाति मीना निवासी बिशनपुरा,तह.व जिला बूंदी

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजकुमार गोयल, एडवोकेट।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी रामदेव पुत्र जुवारा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 1703/2107 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम बिशनपुरा आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1976 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 6/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2020/00008 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। आवंटी के वारिसान गैरखातेदार दुर्गालाल के फोत हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार बून्दी से उसके वारिसान की सूचना तलब की गई। तहसीलदार बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मृतक अप्रार्थीगण के वारिसान को कायम मुकाम बनाया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 06.08.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर प्रार्थना प्रार्थी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन किश्त जमा नहीं करी गई है। इस प्रकार आवंटी तथा वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता रामदेव के नाम अलोट हुई थी तथा आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आवंटी एवं अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में आवंटन किश्त बकाया होना अंकित किया है किन्तु इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अप्रार्थीगण गरीब एवं ग्रामीण परिवेश के निरक्षर व्यक्ति है। अप्रार्थीगण अब आवंटन शर्तो की पालना करने एवं बकाया राजस्व को जमा करवाने को तैयार है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर आवंटन को बहाल रखा जावे।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं. 162 दिनांक 11.07.1977 ग्राम गुढानाथावतान के अवलोकन प्रकट है कि रामदेव वल्द जुवारा कौम मीना को दिनांक 15.06.1976 को भूमि खसरा सं. 1703/2107 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम गुढानाथावतान का आवंटन किया गया था। आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम बिशनपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार भूमि खसरा सं. 1703/2107 रकबा 0.3845 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4(4) पर "आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, आवंटी द्वारा आवंटन किश्त जमा नहीं की गई है एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 01.11.19 में आवंटित भूमि पर आवंटी व आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है और ना ही आवंटन शर्तो की पालना की जा रही है, अंकित है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना बताया गया किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन की किश्त जमा नहीं करवाये जाने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रामदेव वल्द जुवारा कौम मीना निवासी गुढानाथावतान को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 1703/2107 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम गुढानाथावतान (हाल रकबा 0.3845 हैक्टेयर वाके ग्राम बिशनपुरा) दिनांक 15.06.1976 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 28.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी